राजस्थान सरकार
मंत्रीमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प.5(1)मं.म./2019 जयपुर, दिनांकः 01/01/2019

—:आज्ञा:—

दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में, राज्य सरकार द्वारा किसानों को, जन घोषणा—पत्र के अनुसार, फसली ऋण माफी हेतु जारी आदेश क्रमांक प. 17 (15) सह/2018 जयपुर, दिनांक 19.12.2018 के क्रम में पात्रता की शर्तें एवं दिशा—निर्देश इत्यादि के निर्धारण हेतु, मंत्रिगण एवं अधिकारीगण की अंतर्विभागीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार, निम्नांकित मंत्रिगण की समिति का एतद्द्वारा गठन किया जाता है:—

1. श्री शांति कुमार धारीवाल, मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग — संयोजक
2. श्री परसादी लाल, मंत्री, उद्योग विभाग
3. मास्टर भंवरलाल मेघवाल, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. श्री लालचन्द कटारिया, मंत्री, कृषि विभाग
5. श्री अंजना उदयलाल, मंत्री, सहकारिता विभाग
6. श्री भंवरसिंह भाटी, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)
7. श्री सुखराम विश्नोई, राज्यमंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग (स्वतंत्र प्रभार)

उपरोक्त समिति के साथ निम्नांकित को सम्बद्ध किया जाता है:—

1. श्री गोविन्द शर्मा, सलाहकार मुख्यमंत्री

अधिकारीगण

1. मुख्य सचिव, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग
4. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग
5. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग — सदस्य सचिव

उक्त समिति निम्न बिन्दुओं पर विचार करेगी:—

1. राज्य सरकार द्वारा की जा रही ऋण माफी के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में क्रियान्विति योजना की रूप—रेखा का निर्धारण एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. भूमि विकास बैंकों के कृषि ऋणों के सम्बन्ध में विचार करना एवं कृषक ऋण राहत के लिए एक स्थाई व्यवस्था हेतु रूप—रेखा तैयार करना।
3. ऋण माफी के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में सुझाव देना।
4. राज्य के संकटग्रस्त कृषकों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में अन्य विभिन्न पहलूओं पर विचार करना।

उपरोक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, सहकारिता विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

1/1/19

(रजत कुमार मिश्र)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
5. निजी सचिव, सलाहकार, मुख्यमंत्री।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग।
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
9. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
10. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
12. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

1/1/19

प्रमुख शासन सचिव